कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

2284
20-2-17

सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ दिनांक–

S.S (SPM)

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA), भागलपुर
जिला– भागलपुर

अवर सचिव
5-0-7
21-2-17

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पत्र
20 FEB 2017
प्राप्ति तिथि

महाशय,

भागलपुर

जिला शहरी विकास अभिकरण, सासाराम के वर्ष सितम्बर 2011 से सितम्बर 2016 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 772/16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पत्र पंजी
21 FEB 2017
संख्या 1582

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/ 1464 2/436 दिनांक– 16.02.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भागलपुर

16/02/17

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
समाजिक प्रक्षेत्र–I

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–772/16–17
प्रस्तावना
भाग–I

1	कार्यालय का नाम	कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर
2	मुख्य अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री सुधीर कुमार दास, शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
3	अधीक्षण अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री उमाकान्त ठाकुर, शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
4	कार्यपालक अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री मनोज कुमार , जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर
5	लेखा की अवधि	सितम्बर/2011 से सितम्बर/2016 तक
6	लेखा परीक्षा की अवधि	दिनांक 24.10..2016 से 04.11..2016 तक
7	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	प्रमण्डल के माह 09/2011 से माह 09/2016 तक के लेखाओं की नमूना जॉच की गयी। माह 03/2013, 07/2013, 05/2014, 03/2016 एवं 05/2016 के लेखाओं की विस्तृत जॉच एवं माह 09/2012, 08/2013, 11/2014, 01/2016 एवं 06/2016 के लेखाओं की अंकगणितीय जॉच की गयी। उक्त अवधि के लिए स्थापना से संबंधित अभिलेखों की भी जॉच की गयी।
8	लेखा परीक्षा दल के सदस्यगण	श्री अखिलेश चन्द्र ठाकुर, व0ले0प0अ0 श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल, स0ले0प0अ0 श्री मोहनीश भास्कर स0ले0प0अ0 श्री रामजतन कुमार, ले0प0
9	क्या कार्यपालक अभियन्ता के साथ विचार– विमर्श हुआ	हाँ

दावा अस्वीकरण प्रमाणपत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग–II

खण्ड–क – शून्य

भाग–II

खण्ड–ख

कंडिका –1 गंदी बस्ती योजनान्तर्गत साहेबगंज मुस्लिम टोला भागलपुर की आधारभुत संरचना निर्माण की समीक्षा

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष – 09F2/2012-13
एकरारनामा की तिथि – 17.08.12
एकरारित राशि – रू 10598900
एजेन्सी का नाम – तिरूपति नाथ
कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि – 17.08.12/16.03.13
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि– अपूर्ण
अद्यतन भुगतान – रू 8520869 (मापी पु0 सं0 17/2012, पृ0 93)

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच के कम में निम्न आपत्तियां पाई गई–

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 16 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

सरकार को अपने एक महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराना एवं पिछड़ेपन को दूर करना पहली प्राथमिकता होती है। इसी प्राथमिकता को सुदृढ बनाये रखने के लिए एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाएं स्वीकृति की जाती है। जिसे योजनाएं स्वीकृति के साथ एक निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होता है ताकि उद्देश्य की पूर्ति एवं उसका लाभ ससमय लाभुकों को प्राप्त हो सके।

उक्त कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन के कम में पाया गया कि कार्य परिमाण विपत्र मे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराया गया था जिसके कारण कराये कार्य का अधोमानक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवरण निम्न प्रकार है :–

कम सं0	आयटम का नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	Earthwork in excavation (50 m lead)	1854.37m3	1653.84m3	200.53m3	132.90/m3	26650.00
2	Providing designation 100 A one bricks	4010.50m2	3716.38m2	294.12m2	164.40/m2	48353.00
3	Centering strutting including strutting	187.50m2	49.76m2	137.74m2	122.85/m2	16921.00
4	Bricks work with bricks of Class 100A	59.28 m3	42.56m3	16.72m3	3107.70/m3	51961.00
5	15 mm Cement Plaster	3355.80 m2	435.62m2	2920.18m2	118.40/m2	345749.00
6	Reinforcement for RCC	31406.14 kg	29345.74 kg	2060.4 kg	61/kg	125684.00
7	Providing and laying in position cement concrete	38.79 m3	22.44m3	16.35m3	2286.20/m3	37379.00
8	Bricks work with bricks of Class 100A	113 m3	80.03m3	32.97m3	2920.70/m3	96295.00

9	Bricks work with bricks of Class 100A	3943.35 m3	2449.50m3	1493.85m3	414.70/m3	619500.00
10	Providing 12mm CP	5934m2	2746.79m2	3187.21	72.70/m2	231710.00
				TOTAL		1600202.00

पुनः पाया गया कि उक्त योजनांतर्गत कुल 345 अदद शौचालय का निर्माण किया जाना था जबकि केवल 210 अदद शौचालय का ही निर्माण किया गया था। इसी प्रकार 1 अदद सामूहिक शौचालय का निर्माण किया जाना था जो स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण नहीं किया गया था। तथा 10 अदद इंडिया मार्क–3 चापाकल, 6 अदद सोलर स्ट्रीट लाईट लगवाना था वह भी नहीं किया गया था।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना 8.93 लाख।

एफ–2 एकरारनामा के क्लॉउज –2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलम्ब होने के उपरान्त प्रतिदिन की विलम्ब के लिए 0.5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से एकरारित राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है।

कार्यालय कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखें की नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया गया था। प्रमण्डल द्वारा संवेदक के विपत्र से 166497 रूपये, Time Extention के रूप में काटा गया था। जबकि प्रावधानानुसार 10 प्रतिशत की दर से 1059890 रूपये, क्षतिपूर्ति राशि के रूप में संवेदक के विपत्र से कटौती किया जाना था जो नहीं किया गया। इस प्रकार 893393 रूपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।

जवाब में बताया गया कि विपत्र राशि के 10 प्रतिशत की दर से समयवृद्धि की कटौती की गई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ–2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लाउज का अनुपालन नहीं किया गया।

(3) स्वीकृत परिमाण विपत्र से अधिक मात्रा में कार्य किए जाने के कारण अधिक भुगतान राशि रू0 0.26 लाख

उक्त कार्य सें संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कुछ आयटम में स्वीकृत परिमाण विपत्र से अधिक मात्रा में कार्य किए जाने के कारण संवेदक को अधिक भुगतान किया गया था जैसे कि परिमाण विपत्र के कम सं0 11 पर Centering strutting propping etc. से संबंधित कार्य 3288 m^2 में किया जाना था जबकि मापी पुस्त के अनुसार उक्त कार्य 3382.13 m2 में किया गया था इस प्रकार 94.13 m^2 अधिक मात्रा में उक्त कार्य किया गया था। उसी प्रकार कम सं0 27 पर Carriage of Material में 831.34 m3 Stone chips का उपयोग किया जाना था जबकि मापी पुस्त के अनुसार 844.48 m3 Stone chips के लिए भुगतान किया गया था जो निर्धारित मात्रा से 13.14 घनमी0 अधिक था। इस प्रकार संवेदक को उक्त अधिक मात्रा में कार्य किए जाने के कारण राशि रू0 26204.00 का भुगतान किया गया था। विवरण इस प्रकार है–

(i) 94.13m2 x 186.30/m2 = 17536.42

(ii) 13.14 m3 x 659.60 /m3 = 8667.14

Total= 26203.56

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

कंडिका –2 <u>वार्ड नं0–51 में कुतुबगंज रामनगर कॉलोनी के सभी शेष में पी0सी0सी0 पथ एवं नाला का निर्माण</u>

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष – 48F2/2015-16
एकरारनामा की तिथि – 12.01.16
एकरारित राशि – रू 12157417
एजेन्सी का नाम – मनोज कुमार सिंह
कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि – 12.01.16/11.07.16
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि– 11.06.2016
अद्यतन भुगतान – रू 8456549 (मापी पु0 सं0 146/2015–16, पृ0 41)

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच के कम में निम्न आपत्तियां पाई गई–

<u>(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 36.34 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य</u>

सरकार को अपने एक महात्वाकांक्षी योजना के तहत आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराना एवं पिछड़ेपन को दूर करना पहली प्राथमिकता होती है। इसी प्राथमिकता को सुदृढ बनाये रखने के लिए एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाएं स्वीकृति की जाती है। जिसे योजनाएं स्वीकृति के साथ एक निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होता है ताकि उद्देश्य की पूर्ति एवं उसका लाभ ससमय लाभुकों को प्राप्त हो सके।

उक्त कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन के कम में पाया गया कि कार्य परिमाण विपत्र मे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराया गया था जिसके कारण कराये कार्य का अधोमानक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवरण निम्न प्रकार है :–

कम सं0	आयटम का नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	Earthwork in excavation (50 m lead)	1930.63m3	1475.93m3	454.70m3	178.40/m3	81118.00
2	Supplying and filling in plinth with local sand	1783.34m3	567.81m3	1215.53m3	378.60/m3	460200.00
3	Providing designation 100 A one brick	6018.20m2	3569.89m2	2448.31m3	233.54/m3	571778.00
4	Providing and laying in position Cement Concrete	568.96 m3	240.53m3	328.43m3	4693.65/m3	1541535.00
5	Centring and shuttering including strutting	1909.61 m3	1175.54m3	734.07m3	137.78/m3	101140.00
6	Brick work with bricks	675.05m3	585.89m3	89.16m3	4295.88/m3	383021.00
7	Providing and laying in position specified grade	245.82 m3	214.76m3	31.06m3	4808.35/m3	149347.00
8	Reinforcement for RCC work	18836.45kg	13569.22kg	5267.23kg	65.70/kg	346057.00
				TOTAL		3634196.00

इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण कार्य पूर्णरूपेण सम्पादित किए ही कार्य को पूर्ण घोषित कर दिया गया था। अतः किये गए कार्य का अधोमानक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) स्वीकृत परिमाण विपत्र से अधिक मात्रा में कार्य किए जाने के कारण अधिक भुगतान राशि रू0 0.09 लाख

उक्त कार्य सें संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कुछ आयटम में स्वीकृत परिमाण विपत्र से अधिक मात्रा में कार्य किए जाने के कारण संवेदक को अधिक भुगतान किया गया था जैसे कि परिमाण विपत्र के कम सं0 12 पर Removal of unserviceable soil with disposal upto 1000 meters से संबंधित कार्य 1357.79 m^3 में किया जाना था जबकि मापी पुस्त के अनुसार उक्त कार्य 1468.08 m^3 में किया गया था इस प्रकार 110.29 m^3 अधिक मात्रा में उक्त कार्य किया गया था। इस प्रकार संवेदक को उक्त अधिक मात्रा में कार्य किए जाने के कारण राशि रू0 8688.65 का भुगतान किया गया था। विवरण इस प्रकार है–

110.29m3 x 78.78/m3 = Rs. 8688.65

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा । कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

कंडिका –3

वार्ड नं0–8 में नरगा चौक से सी0टी0एस0 होते हुए नाथनगर तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष – 35F2/2012-13
एकरारनामा की तिथि – 26.03.13
एकरारित राशि – रू 4777652
एजेन्सी का नाम – विभाष चन्द्र शर्मा
कार्यारंभ/समाप्ति की प्रस्तावित तिथि – 26.03.13/25.07.13
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि– 10.11.14
अद्यतन भुगतान – रू 4378599 (मापी पु0 सं0 50/2013–14, पृ0 34)

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच के कम में निम्न आपत्तियां पाई गई–

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 3.07 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन के कम में पाया गया कि कार्य परिमाण विपत्र मे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराया गया था जिसके कारण कराये कार्य का अधोमानक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवरण निम्न प्रकार है :–

कम सं0	सामग्री का नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	Demolishing cement concrete	16.82m3	0	16.82m3	412.40/m3	6937.00
2	Excavation in soil	195.41m3	179.05m3	16.36m3	161.60/m3	2644.00
3	Construction of GSB	211.69m3	183.06m3	28.63m3	1125.46/m3	32222.00
4	WBM III	260.54 m3	220.90m3	39.64m3	1631.08/m3	64656.00
5	Providing and laying in position Cement Concrete	698.27m3	669.34m3	28.93m3	4417.20/m3	127790.00

6	Providing designation 100A	855.01m2	780.85m2	74.16m2	189.23/m2	14033.00
7	Providing designation 100A	634.85 m2	586.87m2	47.98m2	304.73/m2	14621.00
8	Providing and laying in position specified grade	33.54m3	23.87m3	9.67m3	4517.40/m3	43683.00
				TOTAL		306586.00

कृपया स्पष्ट किया जाय कि उक्त कार्य स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार पूर्णरूपेण सम्पादित क्यों नहीं किया गया?

उपरोक्त के उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा । कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना 0.97 लाख।

एफ–2 एकरारनामा के क्लॉउज –2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलम्ब होने के उपरान्त प्रतिदिन की विलम्ब के लिए 0.5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से एकरारित राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है।

कार्यालय कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करके विलम्ब से किया गया था तथा फिर भी प्रमण्डल द्वारा संवेदक के विपत्र से 381187 रूपये, Time Extension के रूप में काटा गया था। जबकि प्रावधानानुसार 10 प्रतिशत की दर से 477765 रूपये, क्षतिपूर्ति राशि के रूप में संवेदक के विपत्र से कटौती किया जाना था जो नहीं किया गया। इस प्रकार 96578 रूपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।

जवाब में बताया गया कि विपत्र राशि के 10 प्रतिशत की दर से समयवृद्धि की कटौती की गई है । उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ–2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लाउज का अनुपालन नहीं किया गया।

कंडिका –4

मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत बबरगंज से बबरगंज पहाड़ी तक सड़क एवं नाला निर्माण कार्य की समीक्षा

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष – 24F2/2012-13
एकरारनामा की तिथि -- 01.02.13
एकरारित राशि – रू0 4320009
संवेदक का नाम – अभय कान्त मिश्रा
कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि – 01.02.13/30.04.13
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि– 15.01.14
अद्यतन भुगतान – रू 4243678 (मापी पु0 सं0 47/2012–13, पृ0 50)

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच के कम में निम्न आपत्तियां पाई गई–

(1) सड़क में Drain तथा Cross Drain का कार्य बी0ओ0क्यू0 के अनुसार नहीं किया जाना राशि रू0 0.58 लाख अर्थात अधोमानक कार्य

उक्त कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन के कम में पाया गया कि सड़क में Drain तथा Cross Drain से संबंधित कार्य स्वीकृत परिमाण विपत्र मे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराया गया था जिसके कारण कराये कार्य का अधोमानक होने से इनकार नहीं किया जा

सकता है। जैसे कि Excavation work in excavation in all kinds of sol in foundation का कार्य 854.52 घनमी0 में किया जाना था जबकि 727.09 घनमी0 में किया गया था। Brick work with brick of designation का कार्य 251.75 घनमी0 में किया जाना था जबकि 245.66 घनमी0 में किया गया था। Cement plaster in coarse sand 12mm का कार्य 1529.10 घनमी0 में किया जाना था जबकि 1411.97 घनमी0 में किया गया था। Neat Cement Punning का कार्य 1529.10 घनमी0 में किया जाना था जबकि 1321.53 घनमी0 में किया गया था। विवरण इस प्रकार है–

1. Excavation work in excavation in all kinds of sol in foundation- 127.43m3 x 160.60/m3 = 20465.00
2. Brick work with brick of designation - 6.09m3 x 3578.38/m3 = 21792.00
3. Cement plaster in coarse sand 12mm - 117.13m3 x 88.76/m3 = 10396.00
4. Neat cement punning - 207.57m3 x 24.65/m3 = 5117.00

Total = 57770.00

अतः राशि रू0 57770 का उक्त कार्य किए बिना ही कार्य को पूर्ण घोषित कर दिया गया था। जिससे कृत कार्य का अवमानक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना ₹0.08 लाख।

एफ–2 एकरारनामा के क्लॉउज –2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलम्ब होने के उपरान्त प्रतिदिन की विलम्ब के लिए 0.5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से एकरारित राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है।

कार्यालय कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखें की नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करके विलम्ब से किया गया था तथा फिर भी प्रमण्डल द्वारा संवेदक के विपत्र से 424367 रूपये, Time Extention के रूप में काटा गया था। जबकि प्रावधानानुसार 10 प्रतिशत की दर से 432001 रूपये, क्षतिपूर्ति राशि के रूप में संवेदक के विपत्र से कटौती किया जाना था जो नहीं किया गया। इस प्रकार 7634 रूपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।
जबाब में बताया गया कि विपत्र राशि के 10 प्रतिशत की दर से समयवृद्धि की कटौती की गई है । उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ–2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लाउज का अनुपालन नहीं किया गया।

कंडिका –5

मिरजान हाट शीतला स्थान चौक से बागबाड़ी होतें हुए अलीगंज चौक तक पी.सी.सी. निर्माण की समीक्षा

एकरारनामा संख्या 01- F2./2011-12
एकरारनामा की तिथि 02.01.2012
एकरारनामा की राशि 4,04,50,159.00 परिमाण विपत्र से 0.25 प्रतिशत कम पर
कार्य आरम्भ की तिथि 02.01.2012
कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 01.08.2012 (7 माह)
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 31.03.2014
संवेदक का नाम M/s Rajbir Const P.V.T Ltd, Bhagalpur(विमल कुमार अग्रवाल)

अद्यतन भुंगतान   मापी पुस्त संख्या 01/2012 एवं 18/2012 पृष्ठ संख्या–45/46 रू 3,75,38,033.00
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि: 31.03.14

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 28.52 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त योजना से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि निम्न कार्य स्वीकृत परिमाण विपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार नही किये गयें है । विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम	बी. ओ. क्यू के अनुसार आयटम का क्रम एवं नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	6/Spplying and filing plinth	507.12m3	465.01m3	42.11m3	288.38/m3	12143.68
2	7/Brick flat soling	8146.64m2	7301.90m3	844.74m3	183.12/m3	154688.79
3	8/Brick on edge soling	1489.96m2	1194.16m3	295.80m3	457.66/m3	135375.82
4	9/Demolishing brick work	1028.98m3	Nil	1028.98m3	288.38/m3	296737.25
5	10/ Excavation in Marshy soil	805.01m3	705.71m3	99.30m3	78.78/m3	7822.85
6	11/P.C.C. M15	673.97m3	630.06m3	43.91m3	4339.50/m3	190547.44
7	12/Brick Work	3029.97m3	2639.33m3	390.64m3	3461.97/m3	1352383.96
8	13/R.C.C	868.20m3	818.43m3	49.77m3	4375.45/m3	217766.15
9	15/12mm Cement Plaster	15178.44m2	13257.27m2	1921.17m2	80.51/m2	154673.40
10	16/neet cement puning	15178.44m2	13257.27m2	1921.17m2	22.95/m2	44090.85
11	17/Reinforcement	44.64 MT	39.975MT	4.665MT	61176.92MT	285390.33
					TOTAL	2851620.52

उपरोक्त विवरण के अनुसार लगभग 28.52 लाख रू मूल्य के कार्य को संपादित नहीं किये जाने के कारण उक्त निर्माण कार्य के अधोमानक होने से इन्कार नही किया जा सकता है।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा । कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) बिक्री कर की कम कटौती रू. 0.62 लाख

As per Bihar VAT Act Notification No. S.0.102, Dated 22.06.2012 के तहत कार्य संविदा के क्रम में भुगतान के समय स्रोत पर विक्रीकर 5 प्रतिशत की दर से कटौती करना अनिवार्य है।

इस कार्य में मापी पुस्त संख्या 01/2012 पृष्ठ संख्या 42 तृतीय चलन्त बिल अभिश्रव संख्या 03 दिनांक 02.07.2012 के अनुसार कुल कार्य मूल्य का 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की गयी थी जबकि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उक्त तिथि से 5 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती किया जाना था ।

विवरण निम्न है :–

कुल कार्य मूल्य = रू0 6233930/–
5 प्रतिशत विक्रीकर = रू0 311697/–
की गई कटौती = रू0 249357/–
कम कटौती = 62340/–

इस प्रकार रू0 62340.00 की कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दी गई।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति के आलोक में शीघ्र कार्रवाई कर फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कटौती करते समय उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

(3) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना रू 23.31 लाख

एफ–2एकरारनामा के क्लॉउज –2 के अनुसार कार्य समाप्ति के प्रतिदिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से एकरारनामा की राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है। जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगी ।

उक्त नियम के आलोक में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति की तिथि 01.08.2012 से काफी विलम्ब से 31.03.14 का कार्य समाप्त किया गया परन्तु बिल से मात्र 17,13,989.00 की ही कटौती की गयी जबकि नियमानुसार उक्त विलम्ब के लिए एकरारनामा की राशि रू. 4,04,50,159.00 का 10 प्रतिशत रू .40,45,016.00 की कटौति की जाना चाहिये थी। इस प्रकार 23,31,027.00 (40,45,016.00 – 17,13,989.00) रूपये Compensation के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया। जबाब में बताया गया कि विपत्र राशि के 10 प्रतिशत की दर से समयवृद्धि की कटौती की गई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ–2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लाउज का अनुपालन नहीं किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ–2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लाउज का अनुपालन नहीं किया गया।

कंडिका –6

बरारी फेरी रोड उमेश साह के घर से पुल घाट तक नाला ड्रेन के निर्माण कार्य की समीक्षा

एकरारनामा संख्या 16- F2./2015-16
एकरारनामा की तिथि 29.05.2015
एकरारनामा की राशि 38,67,262.00 परिमाण विपत्र से 10.00 प्रतिशत कम पर
कार्य आरम्भ की तिथि 29.05.2015
कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 28.09.2015 (4 माह)
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 25.04.2016
संवेदक का नाम M/s Rajesh kumar, Bhikhanpur, Bhagalpur
अद्यतन भुंगतान मापी पुस्त संख्या 104/2015–16 पृष्ठ संख्या–22/23 रू 422102
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि: 25.04.16

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 0.76 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त योजना से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि आयॅटम संख्या 7 के अनुसार उक्त कार्य में Supplying fitting and placing un-coated Mild steel reinforcement in foundation में मानक के अनुसार 31.48 MT Mild steel reinforcement का उपयोग किया जाना था परन्तु मापी पुस्त के अनुसार 30.18 MT Mild steel reinforcement का ही उपयोग किया जाना पाया गया जो कि परिमाण विपत्र में दिये गये मात्रा से 1.30 MT कम था इस प्रकार 58394.35 प्रति टन की दर से 75912.65 रू. मूल्य के Mild steel reinforcement का उपयोग कार्य में नही किये जाने से कार्य के अधोमानक होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना रू 3.08 लाख

एफ–2एकरारनामा के क्लॉउज –2 के अनुसार कार्य समाप्ति के प्रतिदिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से एकरारनामा की राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है। जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

उक्त नियम के आलोक में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति की तिथि 28.09.2015 से 6 माह के विलम्ब से कार्य समाप्त किया गया परन्तु बिल से मात्र 78,982.00 की ही कटौती की गयी जबकि नियमानुसार उक्त विलम्ब के लिए एकरारनामा की राशि रू. 38,67,262.00 का 10 प्रतिशत रू. 3,86,726.00 की कटौती की जानी चाहिये थी। इस प्रकार 3,07,744.00 (3,86,726.00 – 78,982.00) रूपये Compensation के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।

जवाब में बताया गया कि विपत्र राशि के 10 प्रतिशत की दर से समयवृद्धि की कटौती की गई है । उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ–2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लाउज का अनुपालन नहीं किया गया।

(3) अतिरिक्त परफारमेंस सिक्युरिटी नहीं लिये जाने से संवेदक को अदेय सहायता ₹1.45 लाख।

अभियन्ता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के पत्रांक –06/1/बी0–12/2003 3376 दिनांक 17.08.2010 के तहत संवेदक द्वारा अनुसूचित दर से कम दर (Serious unbalanced bid) पर निविदा डाले जाने की स्थिति में कार्य की गुणवत्ता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए संवेदक से अतिरिक्त परफारमेंस सिक्यूरिटी के रूप में राशि लिये जाने का प्रावधान है। उक्त कार्य को परिमाण विपत्र की राशि से 10 प्रतिशत कम दर पर आवंटित किया गया। उपरोक्त आदेश के अनुसार 38,67,262/–(एकरारित राशि) पर 3.75% (10 प्रतिशत कम दर पर 3.75%) अर्थात **1,45,022**/–Additional Performance Security के रूप में लिया जाना था लेकिन उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए उक्त राशि नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को **₹1,45,022**/– का अदेय सहायता पहुँचाया गया।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति का भविष्य में अनुपालन कर ली जायेगी ।

कंडिका –7 सराय चौक सोनवर्षा लेन लाल खॉ दरगाह से पी.सी.सी सड़क एवं नाला निर्माण कार्य की समीक्षा

एकरारनामा संख्या	21- F2./2015-16
एकरारनामा की तिथि	17.07..2015
एकरारनामा की राशि	41,12,107.00 परिमाण विपत्र से 10.00 प्रतिशत कम दर
कार्य आरम्भ की तिथि	17.07..2015
कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि	16.11..2015 (4 माह)
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	05.05.2016
संवेदक का नाम	M/s Santosh Kumar Singh , Dalsingh Sarai, Samastipur
Rigid pavement	1300 feet length
अद्यतन भुंगतान	मापी पुस्त संख्या 106/2015–16 पृष्ठ संख्या–20/21 रू 38,58,120.00
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथिः 09.05.16	

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 2.48 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त योजना से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि निम्न कार्य स्वीकृत परिमाण विपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार नही किये गयें है । विवरण निम्न प्रकार है–

कम	बी. ओ. क्यू के अनुसार आयटम का कम एवं नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	3/100A one brick flat soling	1138.27 m2	897.61 m2	240.66 m2	245.00/m2	58961.70
2	4/Brick on edge flooring	483.27 m2	257.24 m2	226.03 m2	603.51/m2	136411.36
3	9/steel reinforcement	20.419 MT	19.522 MT	0.897 MT	58394.35/MT	52379.73
					Total	247752.79

उपरोक्त विवरण के अनुसार लगभग 2.48 लाख रू मूल्य के कार्य को संपादित नही किये जाने के कारण उक्त निर्माण कार्य के अधोमानक होने से इन्कार नही किया जा सकता है ।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा । कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना रू 3.30 लाख

एफ–2एकरारनामा के क्लॉउज –2 के अनुसार कार्य समाप्ति के प्रतिदिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से एकरारनामा की राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है। जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगी ।

उक्त नियम के आलोक में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति की तिथि 16.11..2015 से लगभग 6 माह के विलम्ब से कार्य समाप्त किया गया परन्तु बिल से मात्र 81,208.00 की ही कटौती की गयी जबकि नियमानुसार उक्त विलम्ब के लिए एकरारनामा की राशि रू. 41,12,107.00 का 10 प्रतिशत रू .4,11,211.00 की कटौती की जानी चाहिये थी। इस प्रकार 3,30,003.00 (4,11,211.00 – 81,208.00) रूपये Compensation के रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।

जवाब में बताया गया कि समयवृद्धि की कटौती विपत्र राशि का 10 प्रतिशत की दर से किया गया है । उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफ–2 एकरारनामा के उपरोक्त क्लाउज का अनुपालन नहीं किया गया।

(3) अतिरिक्त परफारमेंस सिक्यूरिटी नहीं लिये जाने से संवेदक को अदेय सहायता रू. 1.54 लाख

अभियन्ता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के पत्रांक –06/1/बी0–12/2003 3376 दिनांक 17.08.2010 के तहत संवेदक द्वारा अनुसुचित दर से कम दर (Serious unbalanced bid) पर निविदा डाले जाने की स्थिति में कार्य की गुणवत्ता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए संवेदक से अतिरिक्त परफारमेंस सिक्यूरिटी के रूप में राशि लिये जाने का प्रावधान है। उक्त कार्य को परिमाण विपत्र की राशि से 10 प्रतिशत कम दर पर आवंटित किया गया। उपरोक्त आदेश के अनुसार 41,12,107/–(एकरारित राशि) पर 3.75% (10 प्रतिशत कम दर पर 3. 75%) अर्थात **1,54,204**/–Additional Performance Security के रूप में लिया जाना था लेकिन उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए उक्त राशि नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को **1,54,204**/– का अदेय सहायता पहुँचाया गया।

उत्तर मे बताया गया कि आपत्ति का भविष्य में अनुपालन किया जायेगा ।

कंडिका –8

मोहनपुर ओमप्रकाश भारती के घर से चैती दुर्गा स्थान होते हुए मियां बाड़ी के मिलन बिन्दु एवं नीलकोठी तक पी.सी.सी. एवं नाला निर्माण कार्य की समीक्षा

एकरारनामा संख्या 10- F2./2015-16

एकरारनामा की तिथि 25.05.2015

एकरारनामा की राशि ₹45,92,152.00 परिमाण विपत्र से 2.99 प्रतिशत कम पर

कार्य आरम्भ की तिथि 25.05.2015

कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 24.09.2015 (4 माह)

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 30.06.2016

संवेदक का नाम M/s Maa Construction, Forbesganj, Araria

अद्यतन भुंगतान मापी पुस्त संख्या 129/2015–16 पृष्ठ संख्या–22/23 रू 4004151.00

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि: 30.06.16

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 6.04 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त योजना से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि निम्न कार्य स्वीकृत परिमाण विपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार नही किये गयें है । विवरण निम्न प्रकार है–

कम	बी. ओ. क्यू के अनुसार आयटम का कम एवं नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	3/Supplying and filing in plinth	422.89m3	11.31m3	411.58m3	391.49/m3	161129.45
2	4/G.S.B.	529.59m3	468.06m3	61.53m3	1839.88/m3	113207.81
3	5/P.C.C.	600.96m3	558.63m3	42.33m3	4882.18/m3	206662.68
4	6/Boulder Pitching	42.48m3	Nil	42.48m3	1894.68/m3	80486.00
5	7/Filter Material under neath	21.24m3	Nil	21.24m3	2022.06/m3	42948.55
					Total	**604434.49**

मापीपुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि लगभग 430 फीट लम्बाई में G.S.B. तथा 290 फीट लम्बाई में P.C.C. का कार्य नही किया गया कृपया स्पष्ट किया जाय कि बिना G.S.B. का कार्य किये बिना 140 फीट लम्बाई में P.C.C. का कार्य कैसे किया गया ? जिसके कारण उपरोक्त सड़क की उपयोगिता संदेहास्पद है इसके अतिरिक्त उपरोक्त विवरण के अनुसार लगभग **604434.00** रू मूल्य के कार्य को संपादित नही किये जाने के कारण उक्त निर्माण कार्य के अधोमानक होने से इन्कार नही किया जा सकता है ।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति की जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा। कृपया कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना रू 0.79 लाख

एफ–2एकरारनामा के क्लॉउज –2 के अनुसार कार्य समाप्ति के प्रतिदिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से एकरारनामा की राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है। जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

उक्त नियम के आलोक में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि 24.09.2015 से विलम्ब से 30.06.16 तक कार्य समाप्त किया गया परन्तु बिल से 3,79,941.00 की ही कटौती की